न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर
कैम्प कोर्ट ग्राम झाक

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 135/2021

वादीया	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
निर्मला पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी ग्राम झाक, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादीया स्वयं
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–** 1/11/2021

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 718/1, 719 तथा ग्राम मुरकासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 42, 42/1 आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी में वादीया का नाम निर्मला के बजाय छोटीदेवी दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादीया का वास्तविक नाम निर्मला है। विवादित भूमि पर वादीया का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। निर्मला व छोटीदेवी एक ही औरत है, जो नरेन्द्र जी की पत्नी है। इसलिए उपरोक्त खातेदारी भूमि में वादीया का नाम छोटीदेवी के स्थान पर निर्मला किया जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि ग्राम के खसरा नम्बर 718/1, 719 तथा ग्राम मुरकासनी के खसरा नम्बर 42, 42/1 में वादीया का नाम छोटीदेवी दर्ज है। वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में **जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामे** के अनुसार छोटीदेवी दर्ज हुआ है। वादीया द्वारा प्रस्तुत सरकारी दस्तावेज में नाम निर्मला दर्ज है। वादीया राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपना नाम छोटीदेवी के स्थान पर निर्मला करवाना चाहती है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीया की खातेदारी भूमि में वादीया का नाम छोटीदेवी के स्थान पर निर्मला किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प कोर्ट झाक में प्रस्तुत हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् व राजस्व रेकर्ड का देखने से यह विदित होता है कि

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादीया द्वारा प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात् में वादीया का नाम निर्मला पत्नी नरेन्द्रसिंह दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड में छोटीदेवी पत्नी नरेन्द्र चौधरी दर्ज है जो तहसीलदार बिलाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया है एवं उक्त पत्रावली में बैचाननामें की प्रति पेश नही की गयी है तथा भूमि की किस्म भी औद्योगिक है एवं वादीया द्वारा सयुक्त खातेदार इन्द्रा चौधरी की सहमति नही ली गई है। इसलिए वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

—:: आदेश ::—

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 1/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
कैम्प कोर्ट झाक

व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

वादीया	बनाम	प्रतिवादी
निर्मला पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी ग्राम झाक, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 135/2021

निर्णय दिनांक :– 1/11/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीया मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पेरोकार उपस्थित वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 1/11/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा